पत्रांक–15/नीति–07–14/2013 का० — / 1863

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड।

रॉची, दिनांक–26 फरवरी,2015

विषयः– **सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रीक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–6063 दिनांक–03.11.2003 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–8/आर0 303/84 का0 541 दिनांक–11.01.1991, जो हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूशण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता देने से सम्बन्धित है, को झारखण्ड राज्य में लागू रहने का निदेश संसूचित किया गया था।

राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाली उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूशण एवं साहित्यालंकार की क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता को दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त करते हुए विभागीय पत्रांक–6063 दिनांक–03.11.2003 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में स्पष्ट करना है कि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उक्त विषयक किसी भी डिग्री/प्रमाण–पत्र को अबसे किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

26/2/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–15/नीति–07–14/2013 का० 1863./ रॉची, दिनांक–26 फरवरी, 2015

प्रतिलिपिः– शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं सम्बन्धित संस्था को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/15
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–15 / नीति–07–14 / 2013 का०–

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 4786

प्रेषक,

राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 01/6/15

विषयः– **सरकारी सेवा में नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों की स्थायी मान्यता समाप्त करने के निदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ की मान्यता दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त की जाती है एवं संदर्भित किसी भी डिग्री / प्रमाण पत्र को अब से किसी भी नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

इस संदर्भ में विभिन्न स्रोत से इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि दिनांक–26.06.2014 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत किसी भी डिग्री / प्रमाण पत्र की मान्यता नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए दी जायेगी अथवा नहीं।

2. कार्मिक विभाग के द्वारा निर्गत उक्त संकल्प के द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित हैं:–

(क) हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ की मान्यता दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(ख) हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त किसी भी डिग्री / प्रमाण पत्र की अब से किसी भी नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

निदेशानुसार, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक–26.06.2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं है, चाहे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक–26.06.2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किये गये हों।

विश्वासभाजन,

1/06/15

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।